तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/10/19.	पत्रावली पेश हुई, क्रमांक 30 प्रा०प० 212 ख्वा० पर कथन क्रमांक की सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 30/10/19 को प्रा०प० 212 ख्वा० में पेश हो	
30/10/19.	पत्रावली पेश हुई, क्रमांक 30 प्रा०प० 212 ख्वा० पर आदेश नहीं दिया जा सकता है चूंकि विवादित स्थल की वर्तमान मौका रिपोर्ट पत्रावली में मंगवाया जाना हम उचित समझते हैं, इस बावत भूमिधरी को न्यायालय में उपस्थित रखते हुए, रिपोर्ट पत्रावली में प्रस्तुत करने हेतु सूचित कराया गया है। पत्रावली वास्ते वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त होने व आदेश में दि० 5/11/19 को पेश हो [signature]	Mark 3.14
5/11/19.	पत्रावली पेश हुई, क्रमांक 30 पत्रावली में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रा०प० 212 ख्वा० का स्वीकार किया जाता है, विपक्षी को नाविक आपत्ति निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विरुद्ध आदेश प्रथक से लिखा जाना वा०प्रा० किया। पत्रावली फैसल शुमार की जावे नम्बर से कम हो मूल वाद के साथ संलग्न हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज॰)
पीठासीन अधिकारी– रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :: 16 / 2019

श्रीमती कंचनदेवी पत्नी मदनलाल जी जाति रेगर निवासी गुणता तहसील बेगूँ
प्रार्थीया

बनाम

भवानीलाल पिता भंवरलाल टीकडिया (राजपूत) निवासी पानी की टंकी के पास नीलकण्ठ रोड, बेगूँ
विपक्षी.

उपस्थित :– श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री एस.के.बिल्लू
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक : 05.11.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया की ओर से मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम गुणता पटवार हलका जयनगर में प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजी स्थित है:

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
05	320 / 1	0.0500
	322	0.1600
	564 / 320	0.0940
	565 / 321	0.0680
	566 / 320	0.1000
	567 / 321	0.0600
	593 / 321	0.0300
	596 / 321	0.2800
किता–8	रकबा	0.8420 हैक्टर

प्रार्थीया के ग्राम गुणता की उक्त आराजीयात के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 325 का प्राकृतिक नाला है इस नाला के पूर्व दिशा की तरफ ग्राम पालना का रामनगर प0नं0 जयनगर का मौजा लगता है तथा वहॉ विपक्षी की आराजीयात स्थित है जिसके आराजी खसरा नम्बर 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55 किता– 7 कुल रकबा 2.8200 हैक्टर है। विपक्षी ने अपनी आराजीयात के पश्चिम दिशा में स्थित बरसाती पानी के प्राकृतिक नाला को मिट्टी झींकरा डालकर दिनांक 20.06.2018 को भर दिया व उसके प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन कर नाले को प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 321 व 322 की तरफ खिसका दिया है जो कानूनन गलत है। वादीया ने 20.06.2018 को विपक्षी को बरसाती प्राकृतिक नाला खसरा नम्बर 325 को मिट्टी झींकरा भरने या उसके प्राकृतिक बहाव एवं स्वरूप को बदलने से मना किया व रोका तो न्यायालय में आकर प्रार्थी व उसके परिवार के विरूद्ध झूंठा केस धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर दिया जबकि विपक्षी प्रार्थीया की कृषि आराजीयात को हडपना व कब्जा करना चाहता है, इसी मंशा से विपक्षी ने प्राकृतिक नाला के स्वरूप को बिगाडा एवं नष्ट किया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

यह कि प्रार्थीया ने श्रीमान तहसीलदार साहब बेगूँ के समक्ष भी एक आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि विपक्षी भुवानीलाल को प्राकृतिक नाला के स्वरूप को बदलने पानी के बहाव को रोकने या नाला को भरने से रोका जावे व पाबन्द किया जावे लेकिन तहसीलदार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। विपक्षी द्वारा खसरा नंबर 325 में स्थित मौजा गुणता के प्राकृतिक नाले स्वरूप को बदला है व बहाव को रेका है जो गैरकानूनी है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अब्दुल रहमान प्रकरण की मंशा के विरूद्ध है, इसलिए प्राकृतिक नाले को पुनः पूर्व स्थिति में लाया ज ाकर उसमें से वापिस डाली गई मिट्टी को निकाला जाकर उसके मूल स्थान व मूल स्वरूप में वापिस लाया जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीया को भारी आर्थिक नुकसान होगा, बरसात का समस्त पानी प्रार्थीया की फसल व खेत को नष्ट कर देगा। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि से अनाज उत्पादन नहीं कर सकेगी एवं भारी आर्थिक नुकसान होगा जिसकी पूर्ति अर्थ में कदापि संभव नहीं है। इसलिए विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत है।

यह कि दिनांक 20.06.2018 को विपक्षी द्वारा जबरन ताकत के बल पर ग्राम गुणता केक खसरा नंबर 325 प्राकृतिक बरसाती नाले को मिट्टी एवं झींकरा से भर दिये जाने एवं पानी के बहाव को रोक दिया गया व बरसाती नाले के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित कर दिया जाने से बरसात का पानी प्रार्थीया की आराजी में प्रवेश करेंगा जिससे प्रार्थीया आराजी में फसल उत्पादन नहीं कर सकेगी एवं भारी हानि होगी ,इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध है।

अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षी न तो स्वयं एवं न ही अपने नोकर, एजेण्ट ,रिश्तेदार आदि के माध्य से ग्राम गुणता के खसरा नंबर 325 प्राकृतिक नाला के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें न ही मिट्टी झींकरा आदि से भराव कर पानी के बहाव को रोकने का प्रयास करे, करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी की ओर से मूलदावा पत्रावली में अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लू द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 325 प्राकृतिक नाला नहीं होकर छोटा सा धोरा है। दिनांक 20.06.2018 को प्रार्थी ने इसी बरसाती नाले को बंद नहीं किया है वरन कंचनबाई उसके पति मदनलाल देवर मुकेश एवं अशोक ने दिनांक 25.06.2018 को एकराय होकर मुझ प्रार्थी के खातेदारी की भूमि से बदनियतीपूर्वक अनाधिकार रूप से घुसकर मेरी खातेदारी भूमि में जे.सी.बी. मशीन से स्थाई रूप से खडे हुए पत्थर के पचास पोल गिराकर नष्ट कर दिये साथ ही पत्थर की कोर्ट लगभग 250 फिट उसमें बंधे तार तोडकर पत्थरों को गिराकर सरडा दिये जिससे मुझ भवानीलाल को पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बेगूँ में दी गई। उक्त कार्यवाही से बचने के लिए वादीया ने यह गलत प्रार्थना पत्र व वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। दिनांक 20.06.2018 को मेरी वादीया से कोई बातचीत नहीं हुई है। धोरा जहॉ पहले स्थित था आज भी वहीं स्थित है। वादीया ने असत्य कथन अपने प्रार्थना पत्र में किये है। प्रार्थीया को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है। अपनी कृषि भूमि में लगातार अनाज उत्पादन कर रही है किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से मुझ विपक्षी को पाबंद करने की आवश्यकता नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में ही धारा 188 का वाद पत्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है उसके बचाव में प्रार्थीया द्वारा यह गलत प्रार्थना पत्र अपने कानूनी सलाहाकार की सलाह से पश्चातवर्ती सोच के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

----लगातार

Scanned by CamScanner

बाद प्रस्तुत कया गया है प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया सावित नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया कंचन देवी के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गुणता में स्थित है, तथा विपक्षी की भूमि भी ग्राम पालना का रामनगर प0ह0 जयनगर में ग्राम गुणता की सीमा से लगती हुई है, प्रार्थीया एवं विपक्षी की कृषि आराजी के मध्य नाला है, विपक्षी ने उक्त प्राकृतिक नाला में मिट्टी व झींकरा डालकर उसके बहाव को बदल दिया है तथा स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है जिससे बरसात का पानी मुझ प्रार्थीया की कृषि आराजीयात में आता है जिससे मुझ प्रार्थीया को आर्थिक क्षति हो रही है तथा प्रार्थीया अपनी आराजीयात पर कृषि कार्य नहीं कर पा रही है, विपक्षी उक्त नाला को भरते हुए प्रार्थीया की कृषि आराजी में जबरन प्रवेश करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार, जी को दी थी ,तहसीलदार साहब ने विपक्षी को रूकवा दिया था किन्तु उसके पश्चात कोई प्रभावी कार्यवाही विपक्षी के विरूद्ध नहीं हुई है। अतः विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त नाले को बंद नहीं करें उसके बहाव को परिवर्तित नहीं करें तथा नाले को भरकर प्रार्थीया की कृषि आराजीयात में जबरन दखल नहीं करें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि प्रार्थीया ने गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा गलत कथन किया है, प्रार्थीया मुझ विपक्षी की कृषि भूमि को नुकसान किया है, मुझ विपक्षी की कृषि आराजीयात में स्थित पत्थर कोट व पत्थर के पोल व तार को गिराकर जबरन प्रवेश मुझ विपक्षी की आराजी में किया है, मुझ विपक्षी द्वारा किसी नाले के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया है ना ही कोई उसके पानी के बहाव को बदला है, प्रार्थीया व विपक्षी की आराजी के मध्य कोई नाला न होकर एक छोटा सा धोरा है, प्रार्थीया ने मुझ विपक्षी की कृषि आराजी में दखलंदाजी करने पर मुझ विपक्षी ने पुलिस थाना में प्रार्थीया के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज भी करवाई थी । मुझ विपक्षी द्वारा न्यायालय श्रीमान में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत करते हुए उसके साथ ही प्रार्थना पत्र 212 रा0का0अधि0 का प्रार्थीया को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु पहले ही प्रस्तुत कर रखा है उसकी कार्यवाही से बचने के लिए प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो मिथ्या व असत्य होकर चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुने जाने के पश्चात उस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा की तीन पूर्व शर्त आवश्यक है :

1– प्रथम दृष्टया मामला ::

नकल जमाबंदी मौजा गुणता प0ह0 जयनगर सं0 2071 से 74 में स्थित आराजी संख्या 320/1, 322, 564/320, 565/321, 566/320, 567/321, 593/321, 596/321 किता– 8 कुल रकबा 0.8420 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रार्थीया कंचन देवी पत्नी मदनलाल रेगर सा. देह है, विपक्षी की कृषि भूमि ग्राम पालना का रामनगर में स्थित है जो कि प्रार्थीया की कृषि भूमि के समीप है, पत्रावली में वर्णित प्रार्थी की कृषि आराजी के सम्बन्ध में भूमिधारी से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की गई जिन्होने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम गुणता की आराजी नम्बर 325 किस्म गै0मु0 नाला (नदी व नाले) का मौका देखे जाने पर पाया कि आराजी नं. 325 जो कि राजस्व रेकार्ड में नाला है जिसमें थोडा थोडा पानी का बहाव भी चल रहा है नाले पर किसी प्रकार का अवरूद्ध नहीं है। वर्णित आराजी संख्या 49 से सटे हुए नाला के किनारे पत्थर की कोट व पत्थर के पोल लगे हुए थे

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner